न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(1) निगरानी संख्या–178/2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

(2) निगरानी संख्या–179/2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– गुरेन्द्रजीत सिंह, 2. सत्येन्द्रजीत सिंह पुत्रगण लाल सिंह द्वारा मुख्तारेआम प्रीतम सिंह सौदागर सिंह, निवासी–ग्राम उलानी, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

बनाम

1– कु0 रणजीत कौर पुत्री बलदेव सिंह, 2. कु0 हरप्रीत कौर पुत्री कुलदीप सिंह, 3 कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, सभी निवासीगण–विद्या अकबरपुर, तहसील सितारगंज, जिला उधमसिंहनगर, 4. शुभदीप सिंह ग्रेवाल पुत्र स्व0 सुखदेव सिंह ग्रेवाल उर्फ सुखवीर सिंह ग्रेवाल, 5. अजीत कौर ग्रेवाल पत्नी स्व0 सुखदेव सिंह ग्रेवाल उर्फ सुखवीर सिंह ग्रेवाल, 6. परवीर कौर ग्रेवाल पत्नी नवाब सिंह पुत्री स्व0 सुखवीर सिंह सभी निवासीगण–36 अवरेडीन क्रेसमेन्ट ब्रहाटोन, औन्टोरियों, कनाडा 16टी2पी9 द्वारा मुख्तारेआम (प्रोफोर्मा पक्षकार–4, 5 एवं 6) जगजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, निवासी–जाधोपुर, पो0 सुनफीर, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंहनगर।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री एम0एम0 भट्ट।

अधिवक्ता उत्तरदातागण : अनुपस्थित।

निर्णय

निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने उक्त निगरानियां द्वितीय अपील के रूप में विद्वान अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, उधमसिंहनगर द्वारा अपील संख्–52/27 एवं 52/28 सुखवीर सिंह आदि बनाम रणजीत कौर आदि में पारित आदेश दिनांक 05–08–2016 के विरूद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर योजित की है कि उत्तरदाता संख्या–1 ने मृतक सुखवीर सिंह एवं निगरानीकर्तागण की संयुक्त खाते की भूमि को अवैधानिकता से क्रय कर तहसीलदार, खटीमा के समक्ष नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे विद्वान तहसीलदार ने अविधिक रूप से दिनांक 25–02–2008 को निर्णीत किया। आदेश दिनांक 05–02–2008 के विरूद्ध निगरानीकर्तागण एवं मृतक सुखदेव सिंह ने कलेक्टर, उधमसिंहनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 04–02–2011 से स्वीकार हुई। आदेश दिनांक 04–02–2011 के विरूद्ध

उत्तरदात्री संख्या–2 ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 30–11–2012 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–2 ने आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की तथा निगरानी मृतक सुखदेव एवं निगरानीकर्तागण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जबकि मृतक सुखदेव सिंह की मृत्यु की जानकारी उत्तरदाता संख्या–1 से 3 का पूर्व से थी। विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल ने दिनांक 31–08–2015 को निगरानी स्वीकार कर अपील गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया। विद्वान अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, उधमसिंहनगर ने अपुष्ट तथ्यों तथा मृतक सुखदेव के वारिसान को समयान्तर्गत पक्षकार ने बनाये जाने तथा अन्य अपीलकर्तागण के मुख्तारेआम को अवैधानिक रूप से अमान्य करते हुए बिना गुण दोष के दिनांक 05–08–2016 को अपील उपशमित हो जाने के आदेश पारित किये।

निगरानीकर्तागण के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई है जो कि विधितः नही की जा सकती थी क्योंकि भू0रा0अधिनियम के अन्तर्गत द्वितीय अपील प्राविधानित नही है। तद्नुसार अपीलों को निगरानी में परिवर्तित कर इनकी विषयवस्तु व पक्षकार समान होने के दृष्टिगत इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस को एकपक्षीय रूप से सुना।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी सूक्ष्म बहस में वही तर्क प्रस्तुत किये है जो निगरानियों में उल्लिखित हैं।

आक्षेपित आदेश दिनांक 05–08–2016 से विद्वान अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, उधमसिंहनगर ने उनके समक्ष विचाराधीन अपीलों को मात्र इस आधार पर उपशमित किया कि मुख्तारेआम द्वारा अपीलकर्ता सुखवीर सिंह की मृत्यु की सूचना समय भीतर नही दी गई और न ही मृतक के वारिसों को 90 दिना के अन्दर अपील में प्रतिस्थापित किया गया है। अपीलीय पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्तागण 3 है जिनमें से अपीलकर्ता संख्या–1 की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके विधिक प्रतिनिधियों को नियत समय के भीतर प्रतिस्थापित नही किया गया है।

तद्नुसार मृतक अपीलकर्ता के सापेक्ष ही आलोच्य अपील उपशमित होती है। विद्वान अपर कलेक्टर को यह विचार करना चाहिए था कि क्या आलोच्य अपील सम्पूर्णता में उपशमित होती है? यदि cause to sue survive करता है तो आलोच्य अपील सम्पूर्णता मे उपशमित नही होगी। निगरानीकर्तागण को शेष अपीलकर्तागण के सापेक्ष आलोच्य अपीलों के उपशमित न होने के सम्बन्ध में विद्वान अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व के समक्ष ही आवेदन करना चाहिए था क्योकि उपशमन आदेशों को वापस लेने का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय में निहित है जिसके द्वारा उपशमन आदेश पारित किये गये है।

इसके अतिरिक्त निगरानीकर्तागण को मृतक अपीलकर्ता के सापेक्ष हुए अपील के उपशमन को समाप्त किये जाने हेतु एवं उसके विधिक प्रतिनिधियों को उसके स्थान पर

प्रतिस्थापित किये जाने हेतु यथाविधि आवेदन करने का अवसर अभी भी प्राप्त है। इस दृष्टि से दोनो निगरानियां समयपूर्व (premature) है।

उपर्युक्त विधिक एवं तात्विक दृष्टि से आक्षेपित आदेश के विरूद्ध निगरानियां पोषणीय नही है तथा अस्वीकारणीय है।

आदेश

दोनो निगरानियां अस्वीकृत की जाती है। निगरानीकर्तागण अवर अपीलीय न्यायालय में उपशमन आदेश को वापस लेने हेतु विधिवत आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। विद्वान अपर कलेक्टर ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर विधिवत सुनवाई कर उसका विधिक निस्तारण करेंगे। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 29–01–2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)